लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5036
दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाया जाना

5036. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एनएचडीसी लिमिटेड, लखनऊ के अधिकारियों की मनमानी और भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण बुनकर हथकरघा उद्योग क्षेत्र ठप्प हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बुनकर हथकरघा उद्योग क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए हाल ही में कोई नीतिगत कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में बुनकर हथकरघा उद्योग के लिए 15 प्रतिशत राजसहायता और यार्न आपूर्ति योजना को कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में और मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बुनकर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने और इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा पर कार्य करने वाले बुनकरों को राहत प्रदान करने के लिए बेसिक कच्चे माल की नियमित आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने हेतु कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के तहत उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के पात्र हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के यार्न उपलब्ध करा रहा है। आरएमएसएस के तहत प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है: -

- यार्न के परिवहन के लिए माल ढुलाई प्रतिपूर्ति।
- यार्न डिपो के संचालन संबंधी व्यय।
- हैंक यार्न (कॉटन हैंक, डॉमेस्टिक सिल्क, वूलन, लिनन और प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न, मात्रा प्रतिबंधों के साथ) पर 15% मूल्य सब्सिडी।

उत्तर प्रदेश राज्य में कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) का कार्यान्वयन राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के माध्यम से किया जा रहा है। आरएमएसएस के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा की गई यार्न आपूर्ति का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	**आरएमएसएस उत्तर प्रदेश के तहत यार्न आपूर्ति मूल्य (लाख रुपये में)**
2024-25 (फरवरी 2025 तक)	1,065
2023-24	1,309
2022-23	1,474
2021-22	868
2020-21	642
कुल	**5,358**

(घ): वस्त्र मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद सहित पूरे देश में हथकरघा को बढ़ावा देने और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और (ii) कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) जैसी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चे माल, उन्नत करघे और सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड के निर्माण, कौशल, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****